संख्या :- ३१४८/ I -व.प्र.वि./२००१

प्रेषक,

अशोक,
अपर सचिव,
उत्तराँचल शासन

प्रेषित,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराँचल।

वन एंव पर्यावरण विभागः देहरादूनःदिनाँक ६ जून,२००१

विषय :-वन विभाग में वन रक्षक और वन दरोगा के स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा तैनाती की स्थिति में पूर्व प्रशिक्षण।

महोदय,

पूर्व से प्रचलित प्रथा के अनुसार भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा के अधिकारियों, तथा डी.डी आर को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरांत की विभाग में तैनात किया जाता है।

२. यद्यपि अधिकारी स्तर पर ही उक्त प्रकार की व्यवस्था है, परंतु वन दरोगा एंव वन रक्षक के स्तर पर, सीधी भर्ती की स्थिति में, तैनाती से पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू नही है जिससे चयनित /नियुक्त अभ्यर्थियों को बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये ही विभाग में तैनाती दे दी जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि लम्बी सेवा करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तथा कई ऐसे अवसर आये हैं, जबकि ४०-५० वर्षों की उम्र में उनको प्रशिक्षण में भेजा जाता है और वे इससे बचने की प्रयास तो करते ही है साथ-साथ विभाग को भी उनको प्रशिक्षित कराने का लाभ नहीं मिल पाता है जो विभाग के उचित प्रबधंन एंव प्रशासन के हित में नहीं है। अतः इस स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता प्रबल हुई है।

३. उर्पयुक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा,डी.डी. आर की सीधी भर्ती से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था वन रक्षक तथा वन दरोगा के मामलों में भी लागू कर दिया जाय और ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण सफलता पूर्वक कर लेने के उपरांत ही विभाग में प्रथम तैनाती प्रदान की जाय। इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उर्पयुक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा संबधित सेवा नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय
ह०
(अशोक)
अपर सचिव

संख्याः तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराँचल शासन.
२. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराँचल.
३. समस्त वन संरक्षक, उत्तराँचल.
४. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराँचल

आज्ञा से,
ह०
(किशन नाथ)
उपसचिव